"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर 2002—भाद्र 18, शक 1924

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-2-42/राजस्व/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय-समय पर यथा संशोधित विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी

अनुसूची

क्रमांक	विधियों का नाम
(1)	(2)
1.	मध्यप्रदेश साहूकारी अधिनियम, 1934 (क्रमांक 13 सन् 1934).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-2-42/राजस्व/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-42/राजस्व/2001, दिनांक 3-7-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

Raipur, the 3rd July 2002

NOTIFICATION

No. F-2-42/Revenue/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of laws order, 2002.

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the laws for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, rule order, form regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Acts and laws specified in the Schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	M. P. Money Lenders Act, 1934 (No. 13 of 1934).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. U. KHAN, Under Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.